झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0 13 वर्ष 2020

में

आई0ए0 संख्या 1004 वर्ष 2020

के साथ

आई0ए0 संख्या 1812 वर्ष 2020

छटू मंडल उर्फ छठू मंडल .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री आर0एस0 मजूमदार, वरिष्ठ अधिवक्ता।

राज्य के लिएः– श्री राकेश रंजन, ए0पी0पी0।

विपक्षी पक्ष सं0 2 के लिए :– श्री एस0के0 देव, अधिवक्ता।

04/दिनांकः 08.09.2020

आई0ए0 संख्या 1004 वर्ष 2020

के साथ

आई0ए0 संख्या 1812 वर्ष 2020

1. याचिकाकर्त्ता को जी0आर0 सं0 478/2011 (टी0आर0 सं0 312/2019) के संबंध में विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, देवघर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की

धारा 323, 324 और 326 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसे आपराधिक अपील सं0 53/2019 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, देवघर द्वारा अभिपुष्ट किया गया है।

2. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि एफ0आई0आर0 के अवलोकन से पता चलता है कि पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से दावा की गई भूमि पर हैंड–पंप लगाने के कारण पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। आरोप लगाया गया है कि सूचक ने कुल्हाड़ी से उसके हाथ पर चोट पहुंचाई।

यह निवेदन किया गया है कि दोनों पक्ष एक कूल से आते हैं और पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, दोस्तों और शुभचिंतकों के हस्तक्षेप पर दोनों पक्ष विवाद को हल करने के लिए सहमत हुए जिनके लिए पंचायती आयोजित की गई थी। पंचायती में पक्षों में सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए सहमति हुई है।

3. श्री एस0के0 देव, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन का विरोध नहीं किया है और सहमति व्यक्त की है कि दोनों पक्ष एक ही कूल के हैं और उन्होनें विवाद को सुलझा लिया है और संयुक्त समझौता याचिका को आई0ए0 सं0 1004/2020 के रूप में दायर किया है।

4. सुना। यह देखते हुए कि दोनों पक्षों ने, परिशिष्ट–I के अनुसार, पंचायती में विवाद को सुलझा लिया है, और विपक्षी पक्ष संख्या 2 मामले के अभियोजन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और यह देखते हुए कि जख्म प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता

की धारा 326 के तहत अपराध का गठन नहीं किया गया है। उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों में, न्याय के हित में समझौता स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार, पुनरीक्षण को एतद्द्वारा अनुज्ञात किया जाता है और समझौता के मद्देनजर, आपराधिक अपील सं0 53/2019 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, देवघर द्वारा दिनांक 27.11.2019 के निर्णय को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

5. परिणाम में, याचिकाकर्त्ता को झारखण्ड उच्च न्यायालय नियम 2001 के नियम 159 के संदर्भ में निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने से छूट दी जाती है, तद्नुसार, आई0ए0 सं0 1004/2020 और आई0ए0 सं0 1812/2020 को अनुज्ञात किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता न्याया0)